[2021] 11 एस सी आर 640

संजय रामदास पाटिल

वी.

संजय और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 5060)

सितंबर 1,2021

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

नगर निगमः

महाराष्ट्र नगर निगम (महापौर कार्यालयों का आरक्षण) नियम, 2006 आर। 3 (2) - भारत का संविधान-कला। 243 टी-महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949। 19 ए -

महापौर के चुनाव के लिए पदों का आरक्षण अधिसूचना जिसके द्वारा धुले नगर निगम में महापौर का कार्यालय

जून, 2021 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए निगम पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित-प्रत्यर्थी सं. 1 उक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए और उक्त निगम के महापौर के पद को अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अगले कार्यकाल के लिए आरक्षित करने का निर्देश देने की मांग की-उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त की गई अधिसूचना कि चूंकि पहले से ही दो अवसरों पर उक्त निगम के महापौर का पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित था, इस तथ्य के साथ कि अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, अपील पर कहा गया कि यह आवर्तन नीति का उल्लंघन हैः 2006 के नियम अनुच्छेद के तहत संवैधानिक जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए तंत्र हैं। 243 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करना और सक्षम बनाना

पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान

उनकी जनसंख्या के अनुपात में-कला के साथ उक्त नियमों का संयुक्त अध्ययन। 243 टी और एस। 19 (1 ए) उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई व्याख्या की अनुमति नहीं देगा -

और आर के विधायी इरादे। 3 नगरपालिका क्षेत्रों में ऐसी श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करना है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र निगमों को आरक्षण मिले

किसी समय विभिन्न श्रेणियों के लिए, एक ही समय में आरक्षण की पुनरावृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि आवर्तन पूरा नहीं हो जाता-विधायी इरादा उन निगमों को बाहर करना है जो पहले एक विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित थे जब तक कि सभी

श्रेणियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है-हालाँकि, ऐसा करते समय, न्यायालय को आर की व्याख्या करनी होगी। 3 इस तरह से कि इस योजना को व्यवहार्य बनाया जाए और निराश न किया जाए।

विधियों की व्याख्याः एक क़ानून के निर्माण का कार्डिनल सिद्धांत-आयोजितः न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधि का समग्र रूप से अर्थ निकाले-अधिनियम के एक प्रावधान का अन्य प्रावधानों के संदर्भ में अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि पूरे संविधि का सुसंगत अधिनियमन किया जा सके-ऐसे प्रावधान जो एक दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत होते हैं, उनका निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके-किसी विशेष वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, इसके परिणामस्वरूप दूसरे प्रावधान को "मृत पत्र" नहीं बनाया जाना चाहिए-इसके अलावा, न्यायालय को प्रभावी उद्देश्य की पृष्ठभूमि में और कानून बनाने वाले प्राधिकरण के इरादे का पता लगाने की आवश्यकता है। संविधि न्यायालय को ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो संविधि को व्यवहार्य बनाती है और विधानमंडल के इरादे को प्रभावी बनाती है, बजाय उस व्याख्या के जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देती है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 19 में महापौर के चुनाव का प्रावधान है और

निगम के पार्षदों में से उप महापौर। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1ए) में प्रावधान है कि निगम में महापौर के पद के लिए आरक्षण होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए बारी-बारी से, निर्धारित में

तरीके से। [पारस 13,14] [652-ई, जी-एच]

1.2 महाराष्ट्र नगरपालिका के नियम 3 का उप-नियम (1)

निगम (महापौर कार्यालयों का आरक्षण) नियम, 2006 में प्रावधान है कि सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में नगर निगमों में महापौरों के पदों की संख्या निर्दिष्ट करेगी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

(नागरिकों के पिछड़े वर्ग की श्रेणी से संबंधित महिलाओं सहित)। [पैरा 16] [654-एफ-जी] [2021] 11 एस. सी. आर.

1.3 इसके नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ए) में प्रावधान है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार

उप-अनुसूचियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों और महिलाओं के पिछड़े वर्ग के लिए महापौरों के पद आरक्षित किए जाएंगे।

नियम (1)। खंड (ख) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित महापौरों के पदों की संख्या सुनिश्चित करेगी।

जनजातियाँ, नागरिक और महिलाओं का पिछड़ा वर्ग निर्धारित संख्या से कम नहीं होगा।

उप-नियम (1) के प्रावधान। खंड (ग) में यह प्रावधान है कि किसी विशेष श्रेणी से संबंधित महिलाओं के संबंध में लॉट -

केवल ऐसे महापौरों के लिए आरक्षित कार्यालयों के बीच खींचा गया

श्रेणी। खंड (घ) में प्रावधान है कि लॉट निकालते समय, पिछले वर्षों में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के पद को उन श्रेणियों के लिए लॉट के ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा। खंड (ई) में प्रावधान है कि महापौरों के पद आरक्षित किए जाएंगे -

महापौर के पद की बाद की शर्तों में ऐसे निगम को बारी-बारी से दिया जाता है जिसमें पिछली शर्तों में कोई आरक्षण नहीं किया गया है जब तक कि प्रत्येक श्रेणी को बारी-बारी से ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियमों की योजना जो उक्त अधिनियम की धारा 19 (1ए) के अनुरूप है और संविधान के अनुच्छेद 243 टी के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप है,

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करना है

अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या के अनुपात में जनजातियाँ नगर निगम क्षेत्रों में जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ।

महापौरों के कार्यालयों की कुल संख्या का 27 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। 1 / 3 कुल पदों में से एक पद अनुसूचित जाति सहित महिला श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित जनजाति और नागरिकों का पिछड़ा वर्ग। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) का खंड (ए) राज्य सरकार को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए महापौरों के पदों का आवंटन करने का आदेश देता है। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (बी) में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि किसी भी समय संख्या संजय रामदास पाटिल v.

संजय और अन्य

उप-नियम (1) के प्रावधान। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (सी) में प्रावधान है कि महिलाओं के संबंध में लॉट एक विशेष श्रेणी से संबंधित केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के कार्यालयों के बीच ही खींचा जाएगा। उक्त नियमों के नियम 3 के उप नियम (2) के खंड (डी) में प्रावधान है कि लॉट निकालते समय, पिछले वर्षों में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के कार्यालयों को उनके लिए लॉट के ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा।

यह अपेक्षा की जाती है कि महापौरों के आरक्षित पदों को महापौर के पद के बाद के कार्यकालों में ऐसे निगम में बदला जाएगा, जिसमें पिछली शर्तों में तब तक कोई आरक्षण नहीं किया गया है जब तक कि प्रत्येक श्रेणी को बारी-बारी से ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता है। [पारस 18,19] [655-ई-एच; 656-ए-जी] 1.4 उच्च न्यायालय ने नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ई) की व्याख्या करते हुए कहा कि जब तक आरक्षण बारी-बारी से नहीं दिया जाता है

प्रत्येक श्रेणी के लिए, आरक्षण एक श्रेणी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए पहले से ही आरक्षण दिया गया था। [पैरा 20] [656-जी-एच]

एम. अब्दुल अज़ीज़ बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य लिखते हैं

2013 की याचिका संख्या 38256 ने 06.01.2014 पर निर्णय लिया -

संदर्भित किया गया।

पढ़कर, उप-नियम के विभिन्न खंडों की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि उनमें विसंगतियां हों और कभी-कभी उनके बीच संघर्ष हो। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधि का समग्र रूप से अर्थ निकाले और अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाए ताकि पूरे संविधि का सुसंगत अधिनियमन किया जा सके। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह दो धाराओं के बीच टकराव से बचे और उन प्रावधानों का अर्थ निकाले जो एक दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत होते हैं। ऐसा तरीका जिससे उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यह भी समान रूप से तय किया गया है कि किसी विशेष वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, इसके परिणामस्वरूप दूसरे प्रावधान को "बेकार लकड़ी" या "मृत पत्र" नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, [2021] 11 एस. सी. आर.

न्यायालय को कानून बनाने के इरादे का पता लगाना होगा।

प्रमुख उद्देश्य और क़ानून के अंतर्निहित इरादे की पृष्ठभूमि में प्राधिकरण। [पैरा 24,31] [660-एफ-जी; 664-एफ-एच]

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम श्रम न्यायालय, मद्रास और अन्य (1985) 3 एस. सी. सी. 103: [1985] 3 एससीआर 491;

बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम। बाबूभाई शंकरलाल पांड्या और अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 606: 1987 (1) जे. टी. 462; मोहन कुमार सिंघानिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 594; सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेम चंद जैन (1997) 1 एससीसी 373: [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 707; जगदीश सिंह बनाम। उपराज्यपाल, दिल्ली और अन्य (1997) 4 एस. सी. सी. 435: [1997] 2 एस. सी. आर. 953; आयकर आयुक्त बनाम। हिन्दुस्तान बल्क कैरियर (2003) 3 एस. सी. सी. 57: [2002] 5 पूरक। एससीआर

387 संदर्भित किया गया।

1.6 2006 के नियम संविधान के अनुच्छेद 243 टी के तहत संवैधानिक जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए तंत्र हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करना और नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम प्रावधान। उक्त नियम निर्धारित किए गए हैं ताकि इसके लिए एक प्रक्रिया प्रदान की जा सके

उक्त अधिनियम की धारा 19 (1 ए) के तहत अनिवार्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए बारी-बारी से निगम में महापौर पद का आरक्षण। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त नियमों के नियम 3 का उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष निगम में किसी विशेष श्रेणी के आरक्षण की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त नियमों का प्रमुख उद्देश्य और विधायी उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्रों में ऐसी श्रेणियों की आबादी के अनुपात में आरक्षण प्रदान करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र निगमों को किसी समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण मिले, साथ ही साथ आवर्तन पूरा होने तक आरक्षण की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हालांकि, ऐसा करते समय, किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 3 है जबकि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए वे 7 हैं। नियम 3 के उप-नियम (2) में निर्धारित किया गया है कि सीटें किस तरह की होनी चाहिए।

महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित किया जाना।

[पैरा 32] [665-ए-एफ]

1.7 इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले ब्लश में, खंड (ई) का एक अलग पठन इस तरह से व्याख्या करने में सक्षम है कि जब तक

प्रत्येक श्रेणी के लिए बारी-बारी से आरक्षण प्रदान किया जाता है, उक्त कार्यालय उस श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है जिसके लिए वह पहले से ही आरक्षित था। हालाँकि, यदि संविधान के अनुच्छेद 243 टी और उक्त अधिनियम की धारा 19 (1 ए) के साथ नियमों को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो उक्त नियमों के पीछे प्रमुख उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि संविधान में अनिवार्य रूप से निगमों में महापौरों के पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय, आरक्षण लॉट के ड्रॉ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समय, ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित महापौरों के पदों की संख्या उक्त नियमों के नियम 3 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (डी) में यह भी प्रावधान है कि लॉट निकालते समय,

पूर्व वर्षों में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के कार्यालयों को उन श्रेणियों के लिए लॉट के ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष निगम पर बार-बार आरक्षण का दबाव न डाला जाए।

निगमों के पास किसी समय महापौर का पद उक्त नियमों के अनुसार विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। महापौर का पद केवल 9 निगमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है जबकि सभी निगम अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण के पात्र हैं। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 3 है, जबकि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए, वे 7 हैं, यानी दोगुने से अधिक, यह काफी संभावना है कि महापौर का पद पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए पहले के दो कार्यकालों के लिए आरक्षित किया जा सकता है और जबकि अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। उक्त नियमों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण आवंटित करने में अपनाई गई प्रक्रिया [2021] 11 एस. सी. आर.

लॉट के ड्रॉ द्वारा, उक्त नियमों की योजना के साथ असंगत कहा जाएगा। जैसा कि क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा हलफनामे में समझाया गया है, 12 निगमों को बाहर करने के बाद, जो पहले से ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और जो लॉट के पहले ड्रॉ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे, धुले नगर निगम सहित 14 निगम उपलब्ध थे। उक्त निगम को अनुसूचित जातियों के लिए लॉट के ड्रॉ में भी शामिल किया गया था। हालांकि, लॉट के ड्रॉ में, इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सका। हालांकि, जहां तक पिछड़े वर्ग का संबंध है, 27 निगमों में से नवगठित पनवेल निगम को छोड़कर 26 निगम पहले से ही पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे।

पिछले वर्षों में। इस प्रकार, राज्य ने उन 7 निगमों को बाहर कर दिया जो तुरंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे और 4 निगमों को भी बाहर कर दिया जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे।

लॉट के वर्तमान ड्रॉ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। संयोग से, लॉट के ड्रॉ में, धुले नगर निगम उन 7 निगमों में से एक था जो

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित। [पैरा 33] [665-जी-एच; 666-ए-एच; 667-ए] 1.8 अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में अंतर को देखते हुए ऐसी स्थिति पैदा होना तय है

नागरिकों का वर्ग। यदि दी गई व्याख्या को स्वीकार किया जाना है तो जब तक महापौर का पद बारी-बारी से पूरा करने के लिए सभी निगमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है, तब तक उन श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करना संभव नहीं होगा जो पहले से ही आरक्षित थीं। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि नियमों के अनुसार, केवल 9 निगम अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 243 टी के तहत संवैधानिक जनादेश के साथ उक्त नियमों का संयुक्त अध्ययन।

संविधान और अधिनियम की धारा 19 (1 ए) उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई व्याख्या की अनुमति नहीं देगी। [पैरा 34] [667-बी-डी]

1.9 न्यायालय को एक व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो

क़ानून को व्यवहार्य बनाता है। विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाने वाली व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी। जो व्याख्या परिणाम का प्रभाव लाती है, उसे उस व्याख्या की तुलना में प्राथमिकता देनी होगी जो परिणाम के उद्देश्य को पराजित करती है।

अधिनियमन। उक्त नियमों का प्रमुख उद्देश्य संजय रामदास पाटिल v को प्रभावी बनाना है।

संजय और अन्य

आरक्षण नीति में यह सुनिश्चित करते हुए कि आरक्षण विशेष निगमों में दोहराया नहीं जाता है और साथ ही सभी निगमों में किसी समय बारी-बारी से सभी पात्र श्रेणियों के लिए आरक्षण होगा। विधायी उद्देश्य उन निगमों को बाहर करना है जो पहले एक विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित थे जब तक कि सभी श्रेणियों को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। हालाँकि, ऐसा करते समय, न्यायालय को उक्त नियमों के नियम 3 की व्याख्या इस तरह से करनी होगी कि इस योजना को व्यवहार्य बनाया जाए और निराश न किया जाए। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सीटों की संख्या में अंतर को ध्यान में रखते हुए, व्याख्या के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा रखे गए, उक्त नियमों को व्यवहार्य नहीं बनाएगा और विधायी इरादे को प्रभावी बनाएगा। यह एक अलग बात होती कि चक्र पूरा होने के बाद भी, आवश्यक

नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए अत्यधिक आरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। दुर्भाग्य से, रिट याचिकाकर्ता के लिए, वर्तमान कार्यकाल के लिए भी, धुले नगर निगम

निगम अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए ड्रॉ के लिए योग्य निगमों के समूह में भी था। हालांकि, ड्रॉ में इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सका। इसके बाद ही, धुले नगर निगम को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए ड्रॉ के पूल में माना गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि तत्काल पिछले चुनावों में, महापौर का पद पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित नहीं था। इस प्रकार, असंतुष्ट

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 38,42] [669-सी-एच; 671-बी]

तमिलनाडु राज्य बनाम। एम. के. कंदास्वामी और अन्य

(1975) 4 एससीसी 745: [1976] 1 एस. सी. आर. 38; आयकर आयुक्त बनाम. हिन्दुस्तान बल्क कैरियर्स (2003) 3 एस. सी. सी. 57 [2002] 5 सप्लीमेंट। एससीआर 387; बलराम कुमावत बनाम। भारत संघ और अन्य (2003) 7 एस. सी. सी. 628: [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 24; क्षेत्रीय प्रबंधक और एक अन्य v. पवन कुमार दुबे (1976) 3 एससीसी 334: [1976] 3

एस. सी. आर. 540-संदर्भित।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1985] 3 एससीआर 491

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[1996] 9 पूरक। एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1997] 2 एससीआर 953

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[2002] 5 पूरक। एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30,36

[1976] 1 एससीआर 38

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2003] 3 पूरक। एससीआर 24

पै

रा 37

संदर्भित किया गया है

[1976] 3 एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5060

2021 .

उच्च न्यायालय के 07.05.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की रिट याचिका No.14440 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में न्यायिक कार्य

के साथ

सिविल अपील सं। 5061 , 5062 और 2021 का 5063

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ब्रज किशोर मिश्रा, विनोद कुमार,

अभिषेक यादव, अमित भगत, सुधांशु एस. चौधरी, एन. एल. चौधरी, महेश पी. शिंदे, सुश्री रुचा ए. पांडे, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, प्रशांत कटनेश्वरकर, योगेश बी. बोल्कर, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, मकरंद डी. अदकर, विजय कुमार, सुश्री भारती त्यागी, सुहास कदम, मेसर्स ब्लैक एंड व्हाइट सॉलिसिटर्स, एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये सभी अपीलें निर्णय और आदेश को अपवाद मानती हैं।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय की खंड पीठ, औरंगाबाद में पीठ ने दिनांक 7 मई 2021 को पारित किया, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 संजय सुधाकर जाधव द्वारा दायर 2019 की रिट याचिका संख्या 14440 होने की अनुमति दी गई और धुले नगर निगम के संबंध में 27 नवंबर 2019 की अधिसूचना को दरकिनार कर दिया गया, जिसके अनुसार धुले नगर निगम में महापौर का कार्यालय संजय रामदास पाटिल बनाम।

जून, 2021 से शुरू होकर यह पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित था। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य को अपने फैसले में की गई टिप्पणियों के अनुसार धुले नगर निगम में महापौर के पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

3. एसएलपी (सी) सं. से उत्पन्न होने वाली अपीलें। 7556 2021 के 7557

2021 और 2021 का 7558 नगर पार्षदों द्वारा दायर किया जाता है जो पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं, जबकि अपील निम्न से उत्पन्न होती है -

2021 का एसएलपी (सी) संख्या 8870 महाराष्ट्र राज्य द्वारा दाखिल किया गया है।

4. इन अपीलों को दायर करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

हम 2021 के एसएलपी (सी) No.7556 से उत्पन्न अपील में तथ्यों का उल्लेख करेंगे। प्रत्यर्थी संख्या 1 हालांकि अनुसूचित जाति से संबंधित है

श्रेणी, सामान्य श्रेणी से धुले नगर निगम (इसके बाद "उक्त निगम" के रूप में संदर्भित) के पार्षद के रूप में चुना गया था। 27 नवंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार,

उक्त निगम में महापौर को पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित किया गया था।

घूर्णन नीति का उल्लंघन। इस प्रकार, इसने मामले को रिमांड पर ले लिया प्रत्यर्थी संख्या 2-इनके अनुसार नए सिरे से विचार के लिए राज्य

अवलोकन।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. हमने सुनी है कि सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री ब्रज किशोर मिश्रा, विद्वान वकील की ओर से पेश हुए।

निजी अपीलार्थी और श्री सचिन पाटिल, महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। हमने प्रतिवादी-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर को सुना है।

7. अपीलार्थियों का यह तर्क है कि उच्च न्यायालय का निर्णय खंड (घ) के महत्व पर विचार किए बिना दिया जाता है। और (ङ) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) का। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य में उपलब्ध महापौरों की कुल 27 सीटों में से 1 के लिए आरक्षित है।

अनुसूचित जनजाति, 3 अनुसूचित जाति के लिए और 7 पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे कहा कि 27 सीटों में से केवल 9 सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आरक्षण के लिए पात्र हैं। यह कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों के लिए 3 की तुलना में 7 हैं, जो कि दोगुने से अधिक है, यह काफी संभव है कि उक्त नियमों को लागू करते समय, पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिए एक से अधिक अवसरों पर आरक्षण प्रदान किया जा सके और अनुसूचित जातियों के लिए एक भी अवसर पर कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाए।

8. राज्य की ओर से यह कहा गया है कि महापौर की सीटें निर्धारित करते समय, महाराष्ट्र राज्य ने एक उपयुक्त नियम का पालन किया था।

प्रक्रिया ताकि उक्त नियमों को प्रभावी बनाया जा सके। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है।

9. इसके विपरीत, मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री कटनेश्वरकर प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय

घूर्णन के सिद्धांत को सही ढंग से लागू किया है और यह माना है कि जब तक सभी

श्रेणियों को एक विशेष नगर निगम में प्रतिनिधित्व मिला, एक विशेष श्रेणी के लिए आरक्षण को दोहराया नहीं जा सकता है।

10. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 2003 से 2017 तक उक्त निगम के महापौर का पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित था।

कुल 7 कार्यकालों में से दो कार्यकाल। यह भी विवाद में नहीं है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक बार भी आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। हमें इस तथ्यात्मक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करना होगा।

11. संविधान के अनुच्छेद 243 टी का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार हैः

(2) खंड (1) के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं, अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। (3) प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें

एक में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आवंटित किया जा सकता है नगरपालिका।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए इस तरह से आरक्षित होंगे जैसे किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा, प्रदान करें।

(5) खंड (1) और (2) के तहत सीटों का आरक्षण और खंड (4) के तहत अध्यक्षों (महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा) के पदों का आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

(6) इस भाग की कोई भी बात किसी राज्य के विधानमंडल को बाधित नहीं करेगी।

किसी भी क्षेत्र में सीटों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से

नगरपालिका या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालय

नागरिकों के पिछड़े वर्ग का समर्थन "।

12. अनुच्छेद 243 टी के खंड (1) के अवलोकन से पता चलेगा कि यह राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित (2021) 11 एस. सी. आर. के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए कहता है।

प्रत्येक नगरपालिका में जनजातियाँ। यह आगे आदेश देता है कि संख्या

इस प्रकार आरक्षित सीटों पर, नगरपालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का उतना ही अनुपात होगा जितना कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की आबादी उस क्षेत्र की कुल आबादी का अनुपात है। यह आगे आदेश देता है कि ऐसी सीटों को नगर पालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित किया जा सकता है। खंड (2) में प्रावधान है कि खंड (1) के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं, अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। खंड (3) में प्रावधान है कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ऐसी सीटें नगर पालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित की जा सकती हैं। इसके खंड (4) में प्रावधान है कि नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित लोगों के लिए आरक्षित होंगे।

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को इस तरह से किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध कर सकता है। इसका खंड (6) राज्य के विधानमंडल को किसी भी नगरपालिका या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालयों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

पिछड़े वर्ग के नागरिक।

13. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 19,

1949 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में पार्षदों के बीच से महापौर और उपमहापौर के चुनाव का प्रावधान है निगम। उक्त अधिनियम की धारा 19 (1ए) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

अधिनियमः

(1क) निगम में महापौर पद के लिए बारी-बारी से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होगा। निर्धारित तरीके से। ”

14. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1ए) में प्रावधान है कि राज्य के पद के लिए आरक्षण होगा। निगम में महापौर, बारी-बारी से, अनुसूचित जातियों के लिए,

अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ और नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, निर्धारित तरीके से।

15. आरक्षण का तरीका आई. डी. नियमों के नियम 3 के तहत प्रदान किया गया है जो इस प्रकार हैः

" 3. महापौर के चुनाव के लिए पदों का आरक्षण-(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका में महापौरों के कार्यालयों की संख्या निर्दिष्ट करें

राज्य में निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे

और महिलाएँ (श्रेणी से संबंधित महिलाओं सहित)

पिछड़े वर्ग के नागरिक) निम्नलिखित सिद्धांतों पर

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षित महापौरों के पदों की संख्या लगभग उतनी ही होगी जितनी कि

हो सकता है, में ऐसे कार्यालयों की संख्या के समान अनुपात नगर निगम क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के रूप में राज्य में निगम

सभी नगर निगम क्षेत्रों की कुल आबादीः बशर्ते कि, महापौर का ऐसा पद इतना आरक्षित नहीं हो सकता है, यदि वार्ड चुनावों में निर्वाचित होने वाले पार्षदों की संख्या

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी कम है

तीन से अधिकः बशर्ते कि इस तरह के आरक्षण को निर्दिष्ट करते समय इस तरह से आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगाः

बशर्ते कि किसी नगर निगम में, जहां पार्षद का केवल एक पद अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तब अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए पद आरक्षित करना आवश्यक नहीं होगा।

या, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजातियाँ; (ख) राज्य में महापौरों के पदों की कुल संख्या का लगभग सत्ताईस प्रतिशत पिछड़े वर्ग के नागरिकों की श्रेणी के लिए आरक्षित होगाः

बशर्ते कि इस प्रकार आरक्षित पदों में से एक तिहाई नागरिक पिछड़े वर्ग की श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे; [2021] 11 एस. सी. आर.

(ग) राज्य में महापौरों के कार्यालयों की कुल संख्या का एक-तिहाई (अनुसूचित के लिए आरक्षित कार्यालयों की संख्या सहित)।

जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की श्रेणी

नागरिकों का) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(2) राज्य सरकार करेगी,

(क) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ड्रॉ द्वारा आवंटित, महापौरों के पद उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों और महिलाओं के पिछड़े वर्ग की श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(ख) यह सुनिश्चित करें कि किसी भी समय कार्यालयों की संख्या

महापौर, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित, अनुसूचित जनजातियाँ, नागरिकों और महिलाओं के पिछड़े वर्ग की श्रेणी

के अनुसार निर्धारित संख्या से कम नहीं होगी

उप-नियम (1) के प्रावधान।

(ग) एक विशेष श्रेणी से संबंधित महिलाओं के संबंध में लॉट केवल आरक्षित महापौरों के कार्यालयों के बीच ही खींचे जाएंगे।

ऐसी श्रेणी के लिए।

(घ) लॉट निकालते समय, पिछले वर्षों में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौर के पद को ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा।

उन श्रेणियों के लिए बहुत कुछ;

(ङ) आरक्षित किए जाने वाले महापौरों के पदों को महापौर के पद के बाद के कार्यकालों में ऐसे निगम में बदला जाएगा, जिसमें पिछली शर्तों में कोई आरक्षण नहीं किया गया है, जब तक कि प्रत्येक श्रेणी को बारी-बारी से ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता है।

16. यह स्पष्ट है कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करेगी। राज्य में नगर निगमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित महापौरों के कार्यालयों की संख्या,

नागरिकों और महिलाओं का पिछड़ा वर्ग (नागरिकों के पिछड़े वर्ग की श्रेणी से संबंधित महिलाओं सहित)। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ए) में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस तरह से आरक्षित महापौरों के पदों की संख्या, राज्य में निगमों में ऐसे कार्यालयों की

संख्या के बराबर होगी, जो नगर निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बराबर होगी।

यह क्षेत्र सभी नगर निगम क्षेत्रों की कुल आबादी के बराबर है। जाहिर है, उक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी के खंड (1) के अनुरूप है। इसके पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि

महापौर का पद इतना आरक्षित नहीं हो सकता है, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से वार्ड चुनावों में चुने जाने वाले पार्षदों की संख्या 3 से कम है। दूसरे प्रावधान में कहा गया है कि

इस तरह के आरक्षण को निर्दिष्ट करते समय, इस तरह से आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

जाति या, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजाति। यह आगे प्रावधान करता है कि एक नगर निगम में, जहां पार्षद का केवल एक पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है या, जैसा भी मामला हो,

अनुसूचित जनजातियों के लिए, तब अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए पद आरक्षित करना आवश्यक नहीं होगा।

राज्य में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके परंतुक में प्रावधान है कि इस प्रकार आरक्षित पदों का एक तिहाई पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नागरिकों का वर्ग। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (सी) में प्रावधान है कि राज्य में महापौरों के पदों की कुल संख्या का एक तिहाई (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

18. उक्त नियमों के नियम 3 का उप-नियम (2) सबसे अधिक प्रासंगिक होगा क्योंकि यह वह प्रावधान है जो विचार के लिए आता है। वर्तमान मामले में। खंड (क) में यह प्रावधान है कि अधिसूचना द्वारा

राजपत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों और महिलाओं के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित महापौरों के पदों का आवंटन ड्रॉ द्वारा करेगी। खंड (ख) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित महापौरों के पदों की संख्या उपखंड के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित संख्या से कम नहीं होगी। नियम (1)। खंड (ग) में प्रावधान है कि किसी विशेष श्रेणी से संबंधित महिलाओं के संबंध में लॉट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के कार्यालयों के बीच ही खींचे जाएंगे। खंड (घ) में प्रावधान है कि लॉट निकालते समय, [2021] 11 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के पद को उन श्रेणियों के लिए लॉट के ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा। खंड (ई) यह प्रावधान है कि आरक्षित किए जाने वाले महापौरों के कार्यालयों को महापौर के पद की बाद की शर्तों में ऐसे निगम में बदला जाएगा जिसमें पिछली शर्तों में कोई आरक्षण नहीं किया गया है जब तक कि प्रत्येक श्रेणी को बारी-बारी से ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता है।

19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियमों की योजना जो उक्त अधिनियम की धारा 19 (1 ए) के अनुरूप है और अनुच्छेद 243 टी के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए है नगर निगम क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियाँ। जहां तक पिछड़े वर्ग का संबंध है, महापौरों के कार्यालयों की कुल संख्या का 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। 1 / 3 कुल संख्या का rd

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों सहित महिला श्रेणी के लिए कई पद आरक्षित होंगे। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) का खंड (ए) राज्य सरकार को ड्रॉ द्वारा महापौरों के कार्यालयों को आवंटित करने का आदेश देता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नागरिकों का पिछड़ा वर्ग और

महिलाएँ, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर। उक्त नियमों के नियम 3 के उप नियम (2) का खंड (बी) राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि किसी भी समय, उक्त श्रेणियों के लिए आरक्षित महापौरों के पदों की संख्या, संख्या से कम नहीं होगी।

उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (सी) में प्रावधान है कि किसी विशेष श्रेणी से संबंधित महिलाओं के संबंध में लॉट केवल इन लोगों के बीच ही खींचे जाएंगेः

महापौरों के कार्यालय ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। उक्त नियमों के नियम 3 के उप नियम (2) के खंड (डी) में प्रावधान है कि लॉट निकालते समय, पिछले वर्षों में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के पद - उन श्रेणियों के लिए लॉट के ड्रॉ से बाहर रखा जाए। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ई) में यह अपेक्षा की गई है कि महापौरों के पद आरक्षित होने के लिए, महापौर के पद की बाद की शर्तों में ऐसे निगम को घुमाया जाएगा, जिसमें पिछली शर्तों में कोई आरक्षण नहीं किया गया है, जब तक कि प्रत्येक को बारी-बारी से ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता है।

श्रेणी। 20. उच्च न्यायालय ने उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ई) की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता है

प्रत्येक श्रेणी के लिए बारी-बारी से, आरक्षण उस श्रेणी को प्रदान नहीं किया जा सकता है जिसके लिए आरक्षण पहले से ही प्रदान किया गया था।

ऐसा करते हुए, संजय रामदास पाटिल बनाम. संजय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय अब्दुल अज़ीज़ बनाम के फैसले पर भरोसा किया है। कर्नाटक राज्य और अन्य 1. हमें करना ही पड़ेगा।उक्त दृष्टिकोण की शुद्धता।

21. राज्य द्वारा ड्रॉ के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को श्रीमती द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर करके समझाया गया। एलिस

पोर, क्षेत्रीय उप निदेशक, नगर प्रशासन,

न्गाबाद। अनुच्छेद (5) से (8) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

शपथपत्रः

" 5. आरक्षण के लिए सिद्धांतों और तरीके का उल्लेख किया गया है

नियम 3 (1) और राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

महाराष्ट्र नगरपालिका के नियम 3 (2) में सरकार का उल्लेख है।

निगम (महापौर कार्यालयों का आरक्षण) नियम 2006। के रूप में

प्रावधानों के अनुसार मोटे तौर पर निगमों के महापौर का कार्यालय

निम्नलिखित अनुपात में आरक्षित हैंः

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, राज्य में निगमों में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या के लगभग अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बराबर होगी।

नगर निगम क्षेत्रों में जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ

यह सभी नगर निगम क्षेत्रों की कुल आबादी के बराबर है।

(ख) कार्यालयों की कुल संख्या का लगभग 27 प्रतिशत

राज्य में महापौर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।

नागरिक।

(ग) महापौरों के कार्यालयों की कुल संख्या का एक तिहाई (सहित)

महिलाओं के लिए आरक्षित कार्यालयों की संख्या

निगमों में नागरिक के पिछड़े वर्ग की श्रेणी)

राज्य महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

6. 13.11.2019 पर राज्य के सभी 27 निगमों के महापौरों के कार्यालय के आरक्षण के लिए लॉट निकालते समय उपरोक्त

संबंधित नियमों में उल्लिखित अनुपात का समग्रता से पालन किया जाता है।

और विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित महापौरों के कार्यालय इस प्रकार हैं

निम्नलिखित हैः

2013 की याचिका संख्या 38256 ने 06.01.2014 [2021] 11 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

पदों को टिप्पणी के रूप में आवंटित करने की आवश्यकता है

श्री.

सामाजिक वर्ग

नहीं।

नियम के अनुसार

सामान्य महिला कुल

1 . अनुसूचित जनजातियाँ

1

नियमों के अनुसार,

1

0

कुल जनसंख्या। तीसरे के अनुसार

नियम 3 (1) (ए) का प्रावधान।

नियमों के अनुसार,

2 .

अनुसूचित जातियाँ 1

3

2

कुल जनसंख्या।

नियमों के अनुसार कुल का 27 प्रतिशत

3 . 3 का पिछड़ा वर्ग

4

7

नागरिकों

पद.

आधे अनारक्षित पद

सामान्य महिला 0

8

4 .

8

नियमों के अनुसार।

5 . खोलें।

0

8

8

कुल

14

27

13

7. नियम 3 (2) (डी) के अनुसार महापौर के कार्यालयों का आवंटन करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए

और नागरिकों का पिछड़ा वर्ग (महिलाओं सहित)

उक्त श्रेणियों के लिए) महापौर के पद किसी के लिए आरक्षित हैं।

पूर्ववर्ती वर्षों में उक्त श्रेणियों में से नियम 3 को बाहर रखा जाएगा। (2) (ई) इंगित करता है कि रोटेशन की नीति का पालन किया जाना है जबकि

8. यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रावधान और सार कुल को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है।

दिनांकित 13.11.2019 के ड्रॉ के स्वीकृत कार्यवृत्त को संलग्न किया गया है इसके साथ और प्रदर्शनी 'ए' के रूप में चिह्नित। तथ्यात्मक स्थिति की एक प्रति

यहाँ संलग्न और प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित पहले के आरक्षण का

' बी '। पूर्व आरक्षण की तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार और

विभिन्न पदों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित पदों की संख्या

निम्नलिखित स्वीकृत सिद्धांत का पालन किया जाता है:

क) अनुसूचित जनजातियों के लिए महापौर का 1 पद अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

आरक्षित और 27 निगमों में से 9 निगम हैं।

जहाँ वार्ड चुनाव में निर्वाचित होने वाले पार्षदों की संख्या

उक्त श्रेणी से 3 से कम नहीं है। उन 9 निगमों में से 4 पहले के वर्षों में निगम अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे।

और उन 4 निगमों को बाहर रखा गया है क्योंकि उनके 5 निगम संजय रामदास पाटिल बनाम हैं।

संजय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

लॉट के ड्रॉ के लिए उपलब्ध, जो पहले अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं थे। और उन 5 निगमों में से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 163.11.2019 दिनांकित लॉट के ड्रॉ में 1 निगम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।

ख) अनुसूचित जातियों के लिए महापौर के 3 पदों को अनिवार्य रूप से आरक्षित करने की आवश्यकता है और 27 निगमों में से 12 निगम पहले के वर्षों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे। वे 12 निगम और 1 निगम (वसी-विरार निगम) जो दिनांकित 13.11.2019 के लॉट के इस ड्रॉ के पहले ड्रॉ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे, उन्हें बाहर रखा गया है, इसलिए 14 निगम हैं।

ग) पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए महापौर के 7 पदों को अनिवार्य रूप से आरक्षित करने की आवश्यकता है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 27 निगमों में से 26 निगमों को छोड़कर नवगठित पनवेल को छोड़कर पहले के वर्षों में निगम पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित थे। 26 निगम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे।

पहले के वर्षों में नागरिकों का वर्ग, दिनांकित लॉट के लिए न्यूनतम आवश्यक 7 निगम भी नहीं थे

निगम) और अनुसूचित जातियों (3 निगम) को लॉट के वर्तमान ड्रॉ में और 7 निगमों को बाहर रखा गया है जो तुरंत पिछले कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित थे और धुले निगम सहित शेष निगमों को इस ड्रॉ के लिए माना जाता है और ड्रॉ में 7 निगमों को शामिल किया गया हैः पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित। "[2021] 11 एस. सी. आर.

22. इस प्रकार उक्त शपथपत्र के पैराग्राफ (8) से यह देखा जा सकता है कि जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, महापौर के 3 पदों की आवश्यकता है अनिवार्य रूप से आरक्षित होना। यह आगे देखा जा सकता है कि 27 निगमों में से 12 निगम अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे।

पिछले वर्षों में। इसमें आगे कहा गया है कि वे 12 निगम और 1

निगम (वसई-विरार निगम) जो 13 नवंबर 2019 के लॉट के पहले ड्रॉ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित था, को बाहर रखा गया था। इस प्रकार, 14 निगम उपलब्ध हैं, जो पहले अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं थे। यह और स्पष्ट है कि जब अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए ड्रॉ निकाला गया था, तो अन्य पात्रों के बीच निगमों, धुले नगर निगम पर भी विचार किया गया। हालांकि, लॉट के उक्त ड्रॉ में, 3 निगम यानी मीरा-भायंदर, अहमदनगर और परभणी नगर निगम के लिए आरक्षित हो गए।

अनुसूचित जातियाँ।

23. जहां तक पिछड़े वर्ग का संबंध है, यह कहा गया है कि महापौर के 7 पदों को अनिवार्य रूप से आरक्षित करने की आवश्यकता है। 27 निगमों में से नवगठित पनवेल निगम को छोड़कर 26 निगम पिछले वर्षों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित थे। यह कहा गया है कि चूंकि 26 निगम पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित थे, इसलिए न्यूनतम आवश्यक 7 निगम भी ड्रॉ में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, 7 निगम जो पहले के वर्षों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित थे, अर्थात तुरंत पहले के वर्षों में पद, लॉट के ड्रॉ में बाहर कर दिया गया था। इसी तरह, पहले और दूसरे ड्रॉ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 4 निगमों को भी बाहर रखा गया था। इस प्रकार, तुरंत पिछले कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित 7 निगमों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 4 निगमों को छोड़कर 16 निगमों के पूल से लॉट का ड्रॉ निकाला गया था।

24. हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) को खुशी से नहीं कहा गया है। एक साधारण पढ़ने पर, विभिन्न

उप-नियम के खंडों की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि उनमें विसंगतियां हों और कभी-कभी उनके बीच टकराव हो। इसलिए हमें ऐसी स्थितियों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित व्याख्या के सिद्धांतों की सहायता से कानूनी स्थिति की जांच करनी होगी।

25. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम। श्रम न्यायालय, मद्रास और

अन्य 2, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

2 (1985) 3 एस. सी. सी. 103 संजय रामदास पाटिल बनाम। संजय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

इसके अलावा कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह एक सामान्य निर्माण का नियम सभी कानूनों पर समान रूप से लागू होता है जो बोली जाती है

निर्माण एक्स विसेरिबस एक्टस के रूप में। यह वैधानिक नियम

निर्माण इतनी दृढ़ता से स्थापित है कि इसे विभिन्न रूपों में शैलीबद्ध किया गया है

" प्राथमिक नियम "(अटॉर्नी जनरल बनाम देखें। बैस्टो [(1957) 1 सभी ई. आर. 497]) और एक "व्यवस्थित नियम" के रूप में (पोपपटलाल शाह बनाम देखें। राज्य

मद्रास का [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 274: 1953 एससीआर 667])। एकमात्र

स्पष्ट रूप से। लॉर्ड कोक ने निर्धारित किया किः " यह सबसे प्राकृतिक है और कानून के एक हिस्से का अर्थ लगाने के लिए कानून का वास्तविक विवरण

उसी कानून के दूसरे भाग द्वारा, उस सर्वोत्तम अभिव्यक्ति के लिए

निर्माताओं का अर्थ "(पंजाब में अनुमोदन के साथ उद्धृत)

बेवरेजेस प्रा. लिमिटेड वी. सुरेश चंद [(1978) 2 एससीसी 144: 1978

एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 165: (1978) 3 एस. सी. आर. 370] "।

26. बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम। बाबूभाई।

केरलाल पांड्या और अन्य 3, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 4. ..... यह एक प्राथमिक नियम है कि किसी खंड का निर्माण

सभी भागों को एक साथ बनाएँ। किसी भी भाग को हटाने की अनुमति नहीं है।

उसमें से। क्योंकि, यह सिद्धांत है कि क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए

समान रूप से एक ही खंड के विभिन्न हिस्सों पर लागू होता है।

" "

27. फिर से मोहन कुमार सिंघानिया और अन्य के मामले में

भारत और अन्य की ओर से इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 67. हम सोचते हैं कि इस निर्णय का विस्तार करना आवश्यक नहीं है सभी निर्णयों का हवाला देते हुए और पाठ के अंशों को यहाँ से निकालते हुए

विधानों की व्याख्या के सिद्धांतों पर विभिन्न पाठ्यपुस्तकें।

तथापि, यह कहना पर्याप्त होगा कि किसी कानून की व्याख्या करते समय असुविधा और कठिनाइयों पर विचार करने से बचा जाना चाहिए

और यह कि जब भाषा स्पष्ट और स्पष्ट हो और शब्द

उपयोग किए गए सादे और असंदिग्ध हैं, हम उनका अर्थ लगाने के लिए बाध्य हैं

या जहां तक संभव हो नियम, एक सुसंगत बनाने के लिए हो सकता है पूरे क़ानून या क़ानूनों/नियमों की श्रृंखला का अधिनियमन /

विषय वस्तु से संबंधित विनियम, जो इसके साथ जोड़े गए हैं,

7) 1 एस. सी. सी. 606

पूरक (1) एससीसी 594 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कानून, न्यायालय को प्रमुख उद्देश्य की पृष्ठभूमि में कानून बनाने वाले प्राधिकरण के इरादे का पता लगाना होता है और

उक्त कानून के अंतर्निहित इरादे और यह कि प्रत्येक कानून की व्याख्या उसकी भाषा के साथ बिना किसी हिंसा के की जानी चाहिए और जहां तक इसकी स्पष्ट भाषा व्याख्या के स्थापित नियम के अनुरूप स्वीकार करती है, लागू की जानी चाहिए।

28. सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेम चंद जैन, इस न्यायालय ने कहा

" 15. मामले के एक पहलू पर-ऊपर इंगित कानून,

निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं:

(1)

यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे आमने-सामने के टकराव से बचें

अधिनियम की दो धाराओं के बीच और उन प्रावधानों का अर्थ लगाना जो एक दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत होते हैं

इस तरह से कि उनका सामंजस्य हो।

(2)

कानून के एक खंड के प्रावधान नहीं हो सकते हैं

अन्य प्रावधानों को विफल करने के लिए उपयोग किया जाता है जब तक कि अदालत,

इसके प्रयासों के बावजूद, इसे लागू करना असंभव लगता है उनके बीच सुलह।

(3)

कि जब किसी अधिनियम में दो परस्पर विरोधी प्रावधान हैं, जिनका एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभाव दिया जाना चाहिए। यही "सामंजस्यपूर्ण" के नियम का सार है। निर्माण "।

अदालतों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एक व्याख्या

(4) जो प्रावधानों में से एक को "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" के रूप में कम करता है, वह सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। (5) सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना नहीं है।

या इसे अनुचित बनाने के लिए "।

29. जगदीश सिंह बनाम। उपराज्यपाल, दिल्ली और अन्य, यह

टी इस प्रकार देखा गयाः

" 7. ..... यह एक क़ानून के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है या

वैधानिक नियम कि विभिन्न को समझने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए

7) 1 एस. सी. सी. 373

प्रावधान, ताकि, प्रत्येक प्रावधान का अपना खेल होगा और

किसी भी संघर्ष की स्थिति में एक सामंजस्यपूर्ण संरचना दी जानी चाहिए। इसके अलावा किसी क़ानून या उसके तहत बनाए गए नियम को इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए -

संपूर्ण और एक प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए

निर्माण जो किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता लाएगा एक प्रावधान और दूसरे प्रावधान के बीच से बचना चाहिए। एक नियम का उपयोग उसी नियम में दूसरे नियम को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना असंभव न हो। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सर्वविदित सिद्धांत यह है कि सभी प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए, और इसलिए, इस न्यायालय ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि एक ऐसा निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "मृत पत्र" में बदल देता है, एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है क्योंकि एक भाग को नष्ट किया जा रहा है और परिणामस्वरूप अदालत को इस तरह के प्रावधानों से बचना चाहिए।

निर्माण। ... ."

30. आय कर आयुक्त बनाम। हिंदुस्तान बल्क

अर्थात्, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 16. अदालतों को उस निर्माण को अस्वीकार करना होगा जो

विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल करें भले ही वहाँ हो सकता है

उपयोग की गई भाषा में कुछ अक्षमता हो। (सैल्मन वी. देखें।

डनकॉम्ब [(1886) 11 एसी 627: 55 एलजेपीसी 69: 55 एल. टी. 446 (पी. सी.)] पी. 634 , कर्टिस वी। स्टोविन [(1889) 22 क्यू. बी. डी. 513: 58 एलजेक्यूबी 174: 60 एस. तेजा सिंह मामले में निर्दिष्ट एल. टी. 772 (सी. ए.) [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352: (1959) 35 आईटीआर 408]।)

17. यदि चुनाव दो व्याख्याओं के बीच है, जिसमें से संकीर्ण कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगा,

हमें ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को व्यर्थ कर देगा, और इसके बजाय इस विचार के आधार पर कि संसद केवल इस उद्देश्य के लिए कानून बनाएगी, अधिक साहसिक निर्माण को स्वीकार करना चाहिए।

एक प्रभावी परिणाम लाना। (नोक्स वी. देखें। डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज़ [(1940) 3 सभी ईआर 549: 1940 एसी 1014: 109 एलजेकेबी 865: 163 एल. टी. 343 (एच. एल.)] जिसे पी. वी. में संदर्भित किया गया है। एनएसडब्ल्यू के लिए भूमि मंत्री [(1954) 3 सभी ईआर 514: (1954) 1 डब्ल्यूएलआर 1410 (पीसी)]।) उक्त मामलों में बताए गए सिद्धांतों को दोहराया गया

इस न्यायालय द्वारा मोहन कुमार सिंघानिया बनाम. संघ का भारत [1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 594: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 455: (1992) 19

एटीसी 881: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1]

किसी खंड के भीतर या उसके बीच असंगति या प्रतिकूलता एक ही क़ानून की दो अलग-अलग धाराएँ या प्रावधान। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह दो धाराओं के बीच आमने-सामने के टकराव से बचे

उसी अधिनियम से। (सुल्ताना बेगम बनाम देखें। प्रेम चंद

जैन [(1997) 1 एस. सी. सी 373: ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1006]।

20. जब भी ऐसा करना संभव हो, यह उन प्रावधानों को समझने के लिए किया जाना चाहिए जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं ताकि वे सामंजस्य बना सकें। यह.

यह हल्के में नहीं लेना चाहिए कि संसद ने एक के साथ दिया था

हाथ जो वह दूसरे के साथ ले गया।
21. कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है

दूसरे को पराजित करें जब तक कि इसे लागू करना असंभव न हो।

उनके बीच सुलह। इस प्रकार एक निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "बेकार लकड़ी" या "मृत पत्र" तक कम कर देता है, एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। सामंजस्य स्थापित करना विनाश करना नहीं है।

31. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधि का समग्र रूप से अर्थ निकाले और वह

अधिनियम के प्रावधान का अर्थ अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि पूरे क़ानून को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दो धाराओं के बीच टकराव से बचे और उन प्रावधानों का अर्थ निकाले जो इस तरह के मामले में एक-दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत होते हैं।

ताकि उन्हें सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके। यह भी समान रूप से तय किया गया है कि किसी विशेष वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, इसके परिणामस्वरूप दूसरे प्रावधान को "बेकार लकड़ी" या "मृत पत्र" नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रावधानों का अर्थ लगाते समय, न्यायालय को कानून के इरादे का पता लगाना होगा

प्रमुख उद्देश्य और क़ानून के अंतर्निहित इरादे की पृष्ठभूमि में अधिकार बनाना।

32. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें उन प्रावधानों का अर्थ निकालना होगा जो विचार के लिए आते हैं। निर्विवाद रूप से उक्त नियम

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के संविधान के अनुच्छेद 243 टी के तहत संवैधानिक जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए तंत्र और प्रदान करने के लिए सक्षम प्रावधान हैं।

निगम। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त नियमों का प्रमुख उद्देश्य और विधायी उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्रों में ऐसी श्रेणियों की आबादी के अनुपात में आरक्षण प्रदान करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र निगमों को किसी समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण मिले, साथ ही साथ आवर्तन पूरा होने तक आरक्षण की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हालाँकि, ऐसा करते समय, एक विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 3 है जबकि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए वे 7 हैं। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) में महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटें आवंटित करने का तरीका निर्धारित किया गया है। खंड (क) में प्रावधान है कि यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ड्रॉ के आवंटन द्वारा किया जाएगा। इसके खंड (घ) में यह प्रावधान है कि लॉट निकालते समय, महापौरों के कार्यालय पहले की श्रेणी में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित थे।

उन श्रेणियों के लिए वर्षों को ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा। इसके खंड (ई) में प्रावधान है कि आरक्षित किए जाने वाले महापौरों के कार्यालयों को ऐसे निगम के लिए महापौर के पद की बाद की शर्तों में घुमाया जाएगा, जिसमें पिछली शर्तों में कोई आरक्षण नहीं किया गया है जब तक कि प्रत्येक श्रेणी को बारी-बारी से ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता है।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली बार में खंड (ई) के अलग-अलग पढ़ने की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि जब तक आरक्षण नहीं है। प्रत्येक श्रेणी के लिए बारी-बारी से प्रदान किया गया, उक्त कार्यालय उस श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है जिसके लिए वह पहले से ही आरक्षित था। हालाँकि, यदि नियम [2021] 11 एस. सी. आर.

संविधान के अनुच्छेद 243 टी और उक्त अधिनियम की धारा 19 (1 ए) को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो उक्त नियमों के पीछे प्रमुख उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि संविधान में अनिवार्य रूप से आरक्षण,

निगमों में महापौरों के कार्यालयों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। जबकि ऐसा करने के लिए, आरक्षण लॉट के ड्रॉ द्वारा प्रदान किया जाना है। यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित महापौरों के पदों की संख्या नियम 3 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित संख्या से कम नहीं होनी चाहिए।

उक्त नियमों में से। उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (डी) में यह भी प्रावधान है कि लॉट निकालते समय, पिछले वर्षों में ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित महापौरों के कार्यालयों को उन श्रेणियों के लिए लॉट के ड्रॉ से बाहर रखा जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि आरक्षण किसी विशेष निगम पर बार-बार नहीं थोपा जाए।

और सभी निगमों के पास किसी समय महापौर का पद उक्त नियमों के अनुसार विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। महापौर का पद केवल 9 निगमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है जबकि सभी निगम अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण के पात्र हैं। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 3 है, जबकि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए, वे 7 हैं, यानी दोगुने से अधिक, यह काफी संभावना है कि महापौर का पद पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए पहले के दो कार्यकालों के लिए आरक्षित किया जा सकता है और जबकि अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हम पाते हैं कि उक्त नियमों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

लॉट निकालकर आरक्षण का आवंटन करना उक्त नियमों की योजना के साथ असंगत कहा जाएगा। जैसा कि श्रीमती द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में समझाया गया है। एलिस सूफी पोर, 12 निगमों को बाहर करने के बाद जो पहले से ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं

पहले के वर्षों में और जो लॉट के पहले ड्रॉ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित था, धुले नगर निगम सहित 14 निगम उपलब्ध थे। उक्त निगम को अनुसूचित जातियों के लिए लॉट के ड्रॉ में भी शामिल किया गया था। हालांकि, लॉट के ड्रॉ में, इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सका। हालांकि, जहां तक

27 निगमों में से 26 निगम पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। नवनिर्मित पनवेल निगम को छोड़कर पहले के वर्षों में पिछड़े वर्ग के लिए पहले से ही आरक्षित थे। इस प्रकार, राज्य ने उन 7 निगमों को बाहर कर दिया जो तुरंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे

और उन 4 निगमों को भी बाहर कर दिया जो अनुसूचित संजय रामदास पाटिल के लिए आरक्षित थे।

वर्तमान ड्रॉ में जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ। संयोग से,

नागरिकों का पिछड़ा वर्ग। यदि व्याख्या को जैसा रखा गया है वैसा होना है तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक कि महापौर का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित न हो

सभी निगमों में आवर्तन पूरा करने के लिए, उन श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करना संभव नहीं होगा जो पहले से ही आरक्षित थीं।

इससे पहले। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि नियमों के अनुसार, केवल 9 निगम अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इसलिए हम पाते हैं

कि संविधान के अनुच्छेद 243 टी और उक्त अधिनियम की धारा 19 (1 ए) के तहत संवैधानिक जनादेश के साथ उक्त नियमों का संयुक्त अध्ययन उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई व्याख्या की अनुमति नहीं देगा।

35. इसके अलावा, हम पाते हैं कि व्याख्या का एक और नियम भी लागू होगा। तमिलनाडु राज्य बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। एम. के. कंदस्वामी और अन्यः

" 26. ..... यदि एक से अधिक निर्माण संभव है, तो जो इसकी कार्यशीलता और प्रभावकारिता को बनाए रखता है, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो इसे ऑटियोज या स्टेराइल बना देगा।

36. इस न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम. हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स (ऊपर) ने इस प्रकार देखा हैः

" 15. एक क़ानून को व्यवहार्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अदालत द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए जब तक कि यह महत्वपूर्ण न हो।

165 : 134 एल. टी. 98 (एच. एल.)], पी. पर एसी। 52 सी. आई. टी. वी. में संदर्भित। एस. तेजा सिंह [ए. आई. आर 1959 एस. सी. 352: (1959) 35 आई. टी. आर. 408] और गुरसाहाई सहगल वी . सीआईटी [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1062: (1963) 48 आई. टी. आर. 1]) ”

37. बलराम कुमावत बनाम। भारत संघ और अन्य, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 25. एक क़ानून को एक व्यवहार्य साधन के रूप में माना जाना चाहिए। कानून का एक सर्वविदित सिद्धांत है।

8 (1975) 4 एस. सी. सी. 745

9 (2003) 7 एस. सी. सी 628 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तिनसुकिया विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य [(1989) 3 एससीसी 709: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 123] इस न्यायालय ने कानून को इस प्रकार कहाः (एस. सी. सी पी. 754 , पैरा 118-120)

" 118. अदालतें किसी भी निर्माण के खिलाफ दृढ़ता से झुकती हैं जो एक क़ानून को निरर्थकता में बदल देता है। कानून के प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसे प्रभावी और प्रभावी बनाया जा सके, इस सिद्धांत पर कि 'यू. टी. आर. एस. मेजिस वलीयत क्काम पेरेत'। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई क़ानून पूरी तरह से अस्पष्ट है और उसकी भाषा पूरी तरह से अव्यवहारिक और पूरी तरह से अर्थहीन है, तो क़ानून को अस्पष्टता के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है। यह मनमानेपन या अनुचितता के लिए कानून का परीक्षण करके न्यायिक समीक्षा में नहीं है।

अनुच्छेद 14; लेकिन एक निर्माण न्यायालय, जो एक क़ानून की भाषा से संबंधित है, यह पता लगाने के लिए क्या करता है, और

कानून के अर्थ और उद्देश्य के अनुसार

एलजेसीएच 850: 83 एल. टी. 274 (सी. ए.)] जे. फारवेल ने कहाः (पीपी। 360-61) ' जब तक शब्द इतने पूरी तरह से निरर्थक नहीं थे कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे कुछ अर्थ खोजने के लिए बाध्य होना चाहिए और उन्हें अनिश्चितता के लिए शून्य घोषित नहीं करना चाहिए।

119. फॉसेट प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम। बकिंघम काउंटी परिषद [(1960) 3 सभी ई. आर. 503: (1960) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 831 (एच. एल.)] लॉर्ड डेनिंग ने फारवेल के कथन को मंजूरी देते हुए जे. ने कहाः (सभी ई. आर. पी. 516)

' लेकिन जब एक क़ानून का कुछ अर्थ होता है, भले ही वह

अस्पष्ट, या कई अर्थ, भले ही उनके बीच चयन करने के लिए बहुत कम है, अदालतों को यह कहना होगा कि क़ानून का क्या अर्थ है, बजाय इसके कि इसे शून्य के रूप में अस्वीकार कर दिया जाए।

120. इसलिए, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह क़ानून के बारे में जो कुछ भी कर सकती है, वह करे, यह जानते हुए कि क़ानून लागू करने के लिए हैं और अयोग्य नहीं हैं और असंभवता से कम कुछ भी अदालत को क़ानून को अव्यवहारिक घोषित करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। व्हिटनी वी। आई. आर. सी. [1926 एसी 37: 95 एलजेकेबी 165: 134 एल. टी. 98 (एच. एल.)] लॉर्ड डुनेडिन ने कहाः (एसी पी। 52)

' एक क़ानून को व्यवहार्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और अदालत द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए, जब तक कि महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट निर्देश उस उद्देश्य को अप्राप्य नहीं बनाता है। संजय रामदास पाटिल बनाम।

डनकॉम्ब [(1886) 11 एसी 627: 55 एलजेपीसी 69: 55 एल. टी. 446 (पी. सी.)] (पी. 634)।] कानून की निरर्थकता को कम करने से बचा जाएगा। और ऐसे मामले में जहां विधायिका के इरादे को प्रभावी नहीं किया जा सकता है, अदालतें एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से साहसिक निर्माण को स्वीकार करेंगी।

38. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो क़ानून को व्यवहार्य बनाए। विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाने वाली व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी। जो व्याख्या परिणाम का प्रभाव लाती है, उसे उस व्याख्या की तुलना में प्राथमिकता देनी होगी जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उक्त नियमों का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए आरक्षण नीति को प्रभावी बनाना है कि आरक्षण विशेष निगमों में और साथ ही साथ सभी में दोहराया न जाए।

निगमों में, किसी समय, बारी-बारी से सभी योग्य श्रेणियों के लिए आरक्षण होगा। विधायी उद्देश्य उन निगमों को बाहर करना है जो पहले एक विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित थे जब तक कि सभी श्रेणियों को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। हालाँकि, ऐसा करते समय, न्यायालय को उक्त नियमों के नियम 3 की व्याख्या इस तरह से करनी होगी कि इस योजना को व्यवहार्य बनाया जाए और निराश न किया जाए। पुनरावृत्ति की कीमत पर और विशेष रूप से अंतर को ध्यान में रखते हुए

हम पाते हैं कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सीटों की संख्या, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या, उक्त नियमों को व्यवहार्य नहीं बनाएगी और विधायी इरादे को प्रभावी नहीं बनाएगी। यह एक अलग बात होती कि चक्र पूरा होने के बाद भी अनुसूचित जातियों को नियमों के अनुसार आवश्यक आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए अत्यधिक आरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। दुर्भाग्य से, रिट याचिकाकर्ता के लिए, वर्तमान कार्यकाल के लिए भी, धुले नगर निगम भी इसमें था

अनुसूचित जातियों के लिए लॉट के लिए पात्र निगमों का पूल

श्रेणी। हालांकि, ड्रॉ में, इसे अनुसूचित के लिए आरक्षित नहीं किया जा सका

जातियाँ। इसके बाद ही, धुले नगर निगम को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए ड्रॉ के पूल में माना गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि तत्काल पिछले चुनावों में, महापौर का पद पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित नहीं था।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. उच्च न्यायालय ने एम. अब्दुल अज़ीज़ बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की निम्नलिखित टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया है।

कर्नाटक राज्य और अन्य (ऊपर):

" 27.1 . यह पता लगाने के लिए कि आवर्तन के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है या नहीं, एक प्रारंभिक परीक्षण यह जांचने के लिए है कि क्या किसी भी नगरपालिका में आरक्षित श्रेणी के लिए किसी भी आवंटन को दोहराया जाता है।

उस श्रेणी के लिए आवर्तन का एक नया चक्र शुरू होने से पहले। यदि किसी नगरपालिका में आवर्तन चक्र के पूरा होने से पहले या उस श्रेणी के लिए आवर्तन का नया चक्र शुरू होने से पहले दूसरी बार किसी आरक्षित श्रेणी के लिए कोई आवंटन किया जाता है, तो यह आवर्तन के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन होगा।

40. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों को अलग-अलग पदों के लिए घुमाया जाएगा।

अवधि-से-अवधि तक की श्रेणियाँ। नियमों में प्रावधान किया गया है कि आरक्षण का चक्र नगर परिषद से शुरू होगा, जिसमें एक विशेष श्रेणी की सबसे अधिक आबादी थी। घूर्णन दूसरे पर जाएगा

संबंधित नगर परिषद क्षेत्र में एक विशेष श्रेणी की जनसंख्या के आधार पर अवरोही तरीके से नगर परिषदें। द.

योजना यह है कि नगर परिषद जिसके लिए किसी विशेष श्रेणी की आबादी सबसे अधिक है, सबसे पहले आरक्षित होगी। उस श्रेणी और उस श्रेणी की सबसे कम आबादी वाली परिषद, उस श्रेणी के लिए आरक्षित होने वाली अंतिम परिषद होगी। उक्त चक्र के पूरा होने के बाद ही किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षण वापस आ सकता है जो पहले इसके लिए आरक्षित था। यह.

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जो नियम कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े थे, वे उन नियमों से बिल्कुल अलग थे जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए थे।

41. यद्यपि उच्च न्यायालय की खंड पीठ एकल न्यायाधीश के निर्णय से बाध्य नहीं थी और इसका केवल एक प्रेरक मूल्य था, हम लाभप्रद रूप से क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य v में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। पवन कुमार दुबे 1 0:

" 7. ..... यहां तक कि जहां कुछ संघर्ष प्रतीत होता है, हम सोचते हैं कि यह तब गायब हो जाएगा जब प्रत्येक मामले के अनुपात निर्णय को सही ढंग से समझा जाएगा। यह वह नियम है जो कानून के लागू होने से निकाला जा सकता है

10 10 (1976) 3 एस. सी. सी. 334 संजय रामदास पाटिल बनाम।

किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ जो उसके अनुपात का गठन करती हैं, तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकालती हैं जो समान प्रतीत हो सकते हैं। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है, भले ही प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाए।

42. इसलिए हमारा विचार है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए विचार में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसलिए दंड की अनुमति दी जाती है और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 7 मई 2021 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और निर्धारित किया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

जैन